

# न्यायालय अपर समाहर्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० - 58/2016

सरकार बनाम श्रीमती राम दुलारी देवी

आदेश

B.4.2-

प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज के पत्रांक 966 दिनांक 13.11.2014 से श्रीमती राम दुलारी देवी, पति -स्व०रामसुन्दर साह ग्राम+पो०+थाना राजपुर के नाम से के नाम से कायम जामबंदी सं० - 09/24 । के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव एवं अंचल राजपुर जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० 52/2014-15 अभिलेख के आलोक में प्रारंभ किया गया है, जिसमें वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

## वादगत भूमि का विवरण

अंचल का नाम	मौजा/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
राजपुर	राजपुर/07	933	3380	0.30 ए०
			3381	0.31 ए०
			3375	0.25 ए०
			3414	0.53 ए०
			3422	0.13 ए०
			3423	0.09 ए०
			3424	0.63 ए०
			3546	1.23 ए०
			कुल	3.55 ए०

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज द्वारा प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का रिविजनल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से इन्द्राज है। अंचल अधिकारी राजपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी श्रीमती राम दुलारी देवी, पति -स्व०रामसुन्दर साह ग्राम+पो०+थाना राजपुर के नाम से कायम कर दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अंचल अधिकारी राजपुर के द्वारा कायम किए गए जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

किस्म जमीन अनाबाद बिहार सरकार है। वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षों को नोटिश निर्गत की गयी। द्वितीय पक्ष वकालतनामा दिनांक 09.09.2019 के साथ उपस्थित हुए, इसके उपरान्त लागातार अनुस्थित रहे । जिससे स्पष्ट है कि संबंधित वादगत जमाबंदीदार को प्रश्नगत जमाबंदी के सन्दर्भ अपना दावा के सर्मथन में कोई साक्ष्य नहीं रखना है।

राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर राज्य का पक्ष रखा तथा अपना लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने वादगत भूमि का आर०एस० खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से कायम है तथा सक्षम प्राधिकार लगान निर्धारण द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

उक्त जमाबंदी रद्दीकरण वाद में इस न्यायालय द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें अंचल अधिकारी राजपुर से अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालिन राजस्व कर्मचारी मो० नेसार अहमद द्वारा लगान निर्धारण वाद सं० 04/2011-12 अंकित कर जमाबंदी सं० 09/24 । कायम किया गया है तथा जमाबंदी पंजी पर टिप्पणी अंकित है कि जाँच किया सही पाया । परन्तु उक्त लगान निर्धारण का कोई साक्ष्य अंचल कार्यालय में राजपुर में उपलब्ध नहीं है। केवल एक साधारण पंजी संधारित है। जिसमें जमाबंदी का जिक्र किया गया है। परन्तु उस पंजी में किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

3/4/24

प्राप्त प्रस्ताव तथा सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन तथा वाद के विचारण से निम्नवत तथ्य स्थापित होता है :-

(1) बिहार काश्तकारी (संशोधन अधिनियम), 2017 के अधिनियम की धारा 158(सी) के अनुसार वैसी रैयती बेलगान/काबिल लगान भूमि का, जिसका लगान भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी।


(2) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक नं० 4012/66-6308 एल० आर०, दिनांक 01.09.1966 के पत्रानुसार लगान निर्धारण की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी /भूमि सुधार उप समाहर्ता में निहित किया गया। उक्त आदेश के पूर्व लगान निर्धारण अंचल अधिकारी द्वारा किया जाता था।

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त जमाबंदी संधारित किया गया है, जो राजस्व विभागीय नियमावलियों के प्रतिकूल है। अतएव अंचल अधिकारी, राजपुर के जमाबंदी रद्दी वाद सं० 52/2014-15 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वादगत भूमि मौजा-राजपुर, थाना सं० - 07, खाता सं० - 933, खेसरा सं० - 3380, 3381, 3375, 3414, 3422, 3423, 3424, 3546 रकबा क्रमशः-0.30 ए०, 0.31 ए०, 0.25 ए०, 0.53 ए०, 0.13 ए०, 0.09 ए०, 0.63 ए०, 1.23 ए० श्रीमती राम दुलारी देवी, पति -स्व०रामसुन्दर साह ग्राम+पो०+थाना राजपुर के नाम से कायम है, का जमाबंदी सं० - 09/24 I को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के section - 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जमाबंदी रद्द किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी रोहतास को भेजना सुनिश्चित करें।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।


  
अपर समाहर्ता,  
रोहतास (सासाराम)।

  
अपर समाहर्ता,  
रोहतास (सासाराम)।

जापान - 345/रक, दिनांक - 05/04/24

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, राजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बिक्रमगंज/रूचाना उप समाहर्ता, रोहतास, सासाराम  
को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (सा) रोहतास सासाराम को जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अपर समाहर्ता,  
रोहतास, सासाराम।